समक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ–नैनीताल

उपस्थित : मान0 श्री राजेन्द्र सिंह

................उपाध्यक्ष (न्या0)

वाद संख्या– 117/एन0बी0/एस0बी0/2021

मुकेश मिश्रा, उ0नि0 ना0पु0, आयु 35 वर्ष, पुत्र श्री एम. एन. मिश्रा, स्थाई निवासी ग्राम तेलखोला, पो0ऑ0 देवाल जिला चमोली (उत्तराखण्ड)

.... अपीलार्थी/याचीकर्ता

बनाम

1. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रमुख सचिव गृह, उत्तराखंड शासन सचिवालय, देहरादून।
2. पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर (रूद्रपुर)।

.... विपक्षीगण

उपस्थिति : श्री नदीमुद्दीन, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, विपक्षीगण के अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः जून 29, 2022

1. प्रस्तुत याचिका याचीकर्ता श्री मुकेश मिश्रा उ0नि0 ना0पु0 द्वारा संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गयी है कि विपक्षी सं0 3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर (रूद्रपुर) द्वारा पारित अवैध तथा मनमाने आदेश दिनांकित 12.06.2020/19 जिससे याचिकाकर्ता का वर्ष 2019 का सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोके जाने का आदेश पारित किया गया है एवं उक्त आदेश दिनांकित 12.06.2020 को अपीलीय प्राधिकारी/विपक्षी सं0 2 पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2021 क द्वारा पुष्ट किया गया है, को अपास्त किये जावें।

2. याची द्वारा प्रस्तुत याचिका निम्न अनुतोष हेतु प्रस्तुत की गयी है:—

"क. अलोच्य दण्ड आदेश दिनांकित 12.06.2020/19 (निर्देश याचिका का संलग्नक 1) तथा अपील प्राधिकारी का अपील आदेश दिनांकित 29.04.2021 (निर्देश याचिका का संलग्नक 2) को अपास्त (quash) करें और अवैध तथा शून्य घोषित कर विपक्षीगण को निर्देशित करें कि वह याची को दिये गये दण्ड को उसकी चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों से विलुप्त करें

ख. याची को समस्त परिणामिक सेवा लाभ अवमुक्त करते हुये अनुमन्य अन्य सेवा लाभ प्रदान करें,

ग. अन्य उपचार जो मामले की परिस्थितियों के अनुरूप माननीय

अधिकरण उचित समझे

घ. याचिका का खर्च याची को दिलाने हेतु आदेश।"

3. संक्षेप में याची का कथन है कि याची वर्ष 2006 में उत्तराखंड पुलिस विभाग में कांस्टेबिल पद पर भर्ती हुआ तथा 2015 में प्रोन्नत होकर उपनिरीक्षक के रूप में वर्तमान तक कार्यरत् है। वर्तमान में जिला उधम सिंह नगर में थाना पंतनगर में तैनात है। वह लोक सेवक है। वर्ष 2019 में जब याची चौकी प्रभारी बांसफोड़ान थाना काशीपुर जनपद ऊधम सिंह नगर में नियुक्त था तो तथाकथित शिकायतकर्ता श्री रमेश रावत पुत्र श्री अभय रावत निवासी मोहल्ला महेशपुरा टीचर्स कालोनी काशीपुर जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र जो याची के विरूद्ध नशे एवं सट्टे कारोबारियों के साथ संबंध के झूठे व निराधार आरोप लगाते हुये प्रेषित किया गया था। उक्त शिकायत पत्र कार्यवाही से पूर्व उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 690/xxx (2)/2010 दिनांक 23 जून 2010 के निदेशों का पालन नहीं किया गया है। इस शासनादेश के अनुसार किसी भी शिकायत पर कार्यवाही शिकायतकर्ता की पुष्टि तथा शपथ पत्र प्राप्त करने के बाद ही की जा सकती है। उक्त शासनादेश का अनुपालन किय बगैर ही अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर द्वारा प्रा0 जांच सम्पादित करायी गयी। उक्त प्रा0 जांच में "अभियुक्ता रेशमा के मोबाइल नं0 8445379864 से आपके मो0 7351425598 पर दिनांक 22—07—2019 से 05—09—2019 तक 06 बार वार्ता होना, अभियुक्त फिरोज चालक के मोबाइल नं0 9917155592 पर दिनांक 16—07—2019 को एक बार वार्ता होना पाया

गया। जांच से यह भी पाया गया कि तौहिद जिसके विरूद्ध वर्ष 2018 में थाना काशीपुर पर प्र0 सू0 रि0 सं0–204/18 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत है, का अधिकतर आपके संपर्क में एवं साथ में रहना प्रकाश में आया है। अभियुक्ता फरजाना द्वारा भी जांच के दौरान अपने कथनों में स्वयं तथा उसके प्रति मो0 आमिर की आपसे जान–पहचान होने की पुष्टि की गयी।" के कथन किये गय। इन कथनों व अवैध रूप से प्राप्त की गयी अपीलार्थी के मोबाइल की कॉल रिकार्ड को आधार बनाकर अपीलार्थी द्वारा चौकी प्रभारी बांसफोड़ान के पद पर नियुक्त रहने के दौरान उक्त अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के संपर्क में रहना तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के साथ चौकी में उठने बैठने से स्थानीय जनता में पुलिस विभाग की छवि धूमिल करता है का निष्कर्ष बिना स्वतंत्र साक्ष्यों तथा अपीलार्थी के पक्ष को विचार में लिये दे दिया। चौकी प्रभारी बांसफोड़ान के पद पर नियुक्त रहने के दौरान उक्त अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के संपर्क में रहना तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के साथ चौकी में उठने बैठने से स्थानीय जनता में पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है का आरोप निराधार रूप से लगाया गया। श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक, काशीपुर की उक्त जांच आख्या को आधार बनाते हुये इसके निष्कर्षों के भी विपरीत जाकर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही अनुशासनहीता, शिथिलता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता की द्योतक कार्य का आरोप लगाते हुये विपक्षी सं0 03 ने कारण बताओ नोटिस संख्या द–20/2020 दिनांक 28 फरवरी 2020 दिया। उक्त नोटिस का याची द्वारा उत्तर प्रेषित करते हुये उस पर लगाये गये आरोपों के गलत व निराधार होने को स्पष्ट करते हुये नोटिस निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। अलाच्य आदेश का प्रमुख तथ्यात्मक बिन्दु "अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के सम्पर्क में रहना" दर्शाया गया है जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो निम्न तथ्यों से स्वतः प्रमाणित हैः– याची द्वारा आदेश में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति को कभी कोई फोन नहीं किया है। यदि पुलिस अधिकारी के नाते याची के मोबाइल पर कोई फोन आता है तो उसे उठाकर बात करना उसका दायित्व है। फोन नहीं करने का तथ्य अपील आदेश में विपक्षी सं0 02 द्वारा भी स्वीकार किया गया है। आदेश में उल्लिखित कोई भी व्यक्ति पेशेवर अपराधी या गैंगेस्टर नहीं है। आदेश में उल्लिखित तौहिद पर जुआ अधिनियम का एक मुकदमा दर्ज है जिसमें झूठा फंसाये जाने का कथन करते हुये वह मा0 न्यायालय में प्रतिवाद कर रहा है। क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियां रोकने व अपराधियों को पकड़ने के लिये क्षेत्र के स्थानीय निवासियों तथा मुखबिरों के सम्पर्क में पुलिस

अधिकारी को रहना पड़ता है तथा उनके द्वारा गोपनीयता बनाने के लिये सूचना देने हेतु भी विभिन्न लोगों के मोबाइल फोन प्रयोग करके पुलिस अधिकारी से सम्पर्क किया जाता है। इसलिये केवल किसी मोबाइल नम्बर पर बात होने भर से कोई प्रतिकूल अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। जांच अधिकारी ने इस तथ्य को विचार में नहीं लिया है कि क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियां रोकने व अपराधियों को पकड़ने के लिये क्षेत्र के स्थानीय निवासियों तथा मुखबिरों के सम्पर्क में पुलिस अधिकारी को रहना पड़ता है तथा उनके द्वारा गोपनीयता बनाने के लिये सूचना देने हेतु भी विभिन्न लोगों के मोबाइल फोन प्रयोग करके पुलिस अधिकारी से सम्पर्क किया जाता है। इसलिये केवल किसी मोबाइल नम्बर पर बात होने भर से कोई प्रतिकूल अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। जांच अधिकारी ने अपनी जांच में इस तथ्य को विचार में नहीं लिया है कि जांच की एकमात्र गवाह फरजाना ने भी याची से किसी अवैध कारोबारी से संबंधों की पुष्टि नहीं की है और न ही उसके विरूद्ध कोई प्रतिकूल बयान ही दिया है। विपक्षी सं0 02 ने अपने अपील आदेश में विभिन्न स्थानों पर शासनादेश के पैरा 19 का उल्लिखित "सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अटूट अंग है" का तो उल्लेख किया है लेकिन इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया है कि अलोच्य आदेश न तो प्रतिवेदक प्राधिकारी (पुलिस क्षेत्राधिकारी) द्वारा वार्षिक गोपनीय आख्या के साथ दिया गया है और न ही उसके लिये निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुये ही दिया गया है। जबकि इस अन्य दण्ड देने के लिये निर्धारित प्रकिया के अनुसार नोटिस देकर दिया गया है। उक्त शासनादेश के पैरा 19 के उप पैरा 8 में स्पष्ट लिखा है कि जब प्रतिवेदक अधिकारो (याची के मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी) भली–भांति संतुष्ट हो कि सम्बन्धित अधिकारी की ईमानदारी की ख्याति वास्तव में ठीक नहीं है तभी निम्नलिखित प्रारूप में किया जाना चाहिये– "The reputation of for honesty is not good and I withhold his integrity" जबकि अलोच्य आदेश प्रतिवदेक अधिकारी (याची के मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी) द्वारा नहीं किया गया है और न ही किसी भी जांच में याची की ईमानदारी की ख्याति खराब होना ही प्रमाणित हुआ है बल्कि संबंधित जांच में पैसे लिये जाने के कोई पुष्टिकारक साक्ष्य परिलक्षित नहीं हुये हैं का निष्कर्ष स्वयं जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से लिखा है। इस प्रकार उसकी गोपनीय प्रविष्टि के साथ भी संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यनिष्ठा नहीं रोकी जा सकती है। याची की 2019 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि सक्षम प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा लिख दी गयी है और उसका

प्रतिकूल होना उत्तराखंड सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा नियमावली) 2002 में नियत समय समाप्त होने के बाद भी इस याचिका की तिथि तक सूचित नहीं किया गया है। इसलिय वह अनुकूल प्रमाणित होती है। अलोच्य (impugned) दण्ड आदेश व अपील आदेश विधि विरूद्ध, निराधार, गलत तथ्यों पर आधारित है तथा निरस्त होने योग्य है।

4. विपक्षीगण द्वारा याचीकर्ता के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुये प्रतिशपथ–पत्र संक्षेप में इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि याचीकर्ता द्वारा अपनी याचिका में विपक्षी सं0 2 व 3 के द्वारा पारित आदेशों को अपास्त किये जाने हेतु जो आधार लिये गये हैं वे पूरी तरह से अस्वीकार है तथा मिथ्या रूप से प्रस्तुत किये गये हैं, जबकि याचीकर्ता के विरूद्ध विपक्षी सं0 3 द्वारा प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र पर सक्षम प्राधिकारी से जॉच करायी गयी और जिसमें जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा याचीकर्ता चौकी प्रभारी बांसफोड़ान के पद पर नियुक्त रहने के दौरान उक्त कारोबारियों के सम्पर्क में रहने तथा उनके चौकी पर उठने–बैठने से स्थानीय जनता में पुलिस विभाग को छवि धूमिल होना पाया गया और जिसके लिये कारण बताओ नोटिस दिया गया और तत्पश्चात् विपक्षी सं0 3 द्वारा जॉच रिपोर्ट के आधार पर याचीकर्ता की सत्यनिष्ठा संदेहजनक पाते हुये सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र रोके जाने की प्रविष्टि चरित्र पंजिका में दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया गया और जिसके विरूद्ध याचीकर्ता द्वारा प्रत्यावेदन पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र, ननीताल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और जिनके द्वारा भी याचीकर्ता के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गयी है। ऐसी स्थिति में, मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

5. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नदीमुद्दीन एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता श्री मुकेश मिश्रा उ0नि0 ना0पु0 के विरूद्ध श्री रमेश रावत, पुत्र श्री अभय रावत, निवासी मोहल्ला टीचर्स कालोनी, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना–पत्र दिया गया है और जिस पर विपक्षी सं0–3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम

सिंह नगर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक, काशीपुर को जांच आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया और जिनके द्वारा जांच आख्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर को दिनांक 26.02.2020 को प्रस्तुत की गयी जो याचीकर्ता की याचिका क अन्तर्गत संलग्नक सं0–3 है। उक्त जांच आख्या में जांचकर्ता द्वारा पैरा–3 (जांच कार्यवाही/निष्कर्ष) में यह उल्लिखित किया गया है कि "प्रकरण की जॉच के दौरान शिकायतकर्ता श्री रमेश रावत के सम्बन्ध में जानकारी किये जाने शिकायती पत्र में दर्शाये गये पते पर किसी रमेश रावत नामक व्यक्ति का रहना नहीं पाया गया। उल्लेखनीय होगा कि, पूर्व में उक्त नाम से अपना पता आवास विकास काशीपुर दर्शाकर स्थानीय पुलिस के विरूद्ध शिकायत किया जाना पाया गया है, सम्बन्धित शिकायती पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि, स्थानीय पुलिस से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा द्वेषभावना के कारण रमेश रावत के नाम से शिकायतें प्रेषित किया जाना परिलक्षित हुआ है।

उ0नि0 मुकेश मिश्रा के चौकी प्रभारी बांसफोड़ान के पद पर नियुक्त रहने के दौरान नशे एवं सट्टे कारोबारियों के साथ सम्बन्ध होने के परिप्रेक्ष्य में जॉच के मध्य थाना काशीपुर पर पंजीकृत अभियोग एफआईआर नं0–418/10, 419/19, 420/19, 421/19, 422/19, 423/19 व व एफआईआर नं0–433/19 व धारा 8/22/29/60 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण मो0 आमिर, रेशमा, फरजाना, नसरीन, बबलू व फिरोज चालक के सम्बन्ध में जानकारी की गयी मो0 आमिर का बाहर रहना, रेशमा व बबलू वर्तमान में जेल में निरूद्ध हैं तथा नसरीन व फिरोज चालक की जानकारी वर्तमान में नहीं होना पाया गया। अभियुक्ता फरजाना से पूछताछ पर उक्त द्वारा अंकित कराये गये कथनों से उ0नि0 मुकेश मिश्रा के विरूद्ध पैसे लिये जाने विषयक कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये हैं

जॉच के मध्य उरोक्त अभि0गण के मोबाईल नम्बरों की प्राप्त की गयी कॉल डिटेल के परीक्षण से अभियुक्ता रेशमा के मोबाईल नं0–8445379864 से उ0नि0 मुकेश मिश्रा के मोबाईल नं0–7351425598 पर दिनांक 22.07.2019 से 05.09.2019 06 बार वार्ता होना, रेशमा के दूसरे मोबाईल नं0–7248678257 से दिनांक 11.08. 2019 को एक बार वार्ता होना तथा अभि0 फिरोज चालक के मोबाईल नं0–9917155592 पर दिनांक 16.07.2019 को एक बार वार्ता होना पाया गया। तत्समय चौकी पर नियुक्त सभी पुलिस कर्मियों के माबाईल नम्बरों के मिलान पर अन्य कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुये। गोपनीय जानकारी से यह भी पाया गया कि,

तौहिद जिसके विरूद्ध वर्ष 2018 में थाना काशीपुर पर प्र0सू0रि0 संख्या 204/18 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत है, उक्त तौहिद का अधिकतर उ0नि0 मुकेश मिश्रा के सम्पर्क में एवं साथ में रहना प्रकाश में आया है। जॉच के मध्य अभियुक्ता फरजाना द्वारा भी अपने कथनों में स्वयं तथा उसके पति मो0 आमिर की उ0नि0 मुकेश मिश्रा से जान-पहचान होने की पुष्टि की गयी है।

जॉच के दौरान की गयी प्राप्त हुये साक्ष्यों, अभियुक्तगण की कॉल डिटेल एवं एसओजी रूदपुर से प्राप्त हुये साक्ष्यों से उ0नि0 मुकेश मिश्रा द्वारा नशे के अवैध कारोबारियों से पैसे लिये जाने के कोई पुष्टिकारक साक्ष्य परिलक्षित नहीं हुये परन्तु उ0नि0 मुकेश मिश्रा के चौकी प्रभारी बांसफोड़ान के पद पर नियुक्त रहने के दौरान उक्त कारोबारियों क सम्पर्क में रहने तथा उनके चौकी पर उठने-बैठने से स्थानीय जनता में पुलिस विभाग का छवि धूमिल होती है।"

7. उपरोक्त जांच आख्या में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रारम्भ में ही यह पाया गया है कि '**प्रकरण की जॉच के दौरान शिकायतकर्ता श्री रमेश रावत के सम्बन्ध में जानकारी किये जाने शिकायती पत्र में दर्शाये गये पते पर किसी रमेश रावत नामक व्यक्ति का रहना नहीं पाया गया। उल्लेखनीय होगा कि, पूर्व में उक्त नाम से अपना पता आवास विकास काशीपुर दर्शाकर स्थानीय पुलिस के विरूद्ध शिकायत किया जाना पाया गया है, सम्बन्धित शिकायती पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि, स्थानीय पुलिस से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा द्वेषभावना के कारण रमेश रावत के नाम से शिकायतें प्रेषित किया जाना परिलक्षित हुआ है।**'

8. जांचकर्ता के उपरोक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता के विरूद्ध तथाकथित शिकायत किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा द्वेषपूर्ण आशय से की गयी है क्योंकि प्रश्नगत शिकायत रमेश रावत नामक व्यक्ति के दिये पते पर, रमेश रावत का रहना नहीं पाया गया तथा जांचकर्ता द्वारा अपनी जांच आख्या में भी उल्लिखित किया गया है कि पूर्व में उक्त नाम से अपना पता आवास विकास काशीपुर दर्शाकर स्थानीय पुलिस के विरूद्ध शिकायत की गयी है, सम्बन्धित शिकायती पत्र की छायाप्रति संलग्न की गयी है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि स्थानीय पुलिस से द्वेषभावना के

कारण कथित रमेश रावत नामक व्यक्ति के नाम से शिकायत किया जाना, परिलक्षित होने के बावजूद जांचकर्ता द्वारा अपनी जांच आख्या में अभियुक्तगण मो0 आमिर, रेशमा, फरजाना, नसरीन, बबलू व फिरोज चालक के सम्बन्ध में जानकारी करना व मो0 आमिर का बाहर रहना, रेशमा व बबलू वर्तमान में जेल में निरूद्ध होना तथा नसरीन व फिरोज चालक की जानकारी वर्तमान में नहीं होना पाया गया तथा अभियुक्ता फरजाना से पूछताछ पर उक्त द्वारा अंकित कराये गये कथनों से उ0नि0 मुकेश मिश्रा के विरूद्ध पैसे लिये जाने विषयक कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होना पाया गया है। इसके विपरीत जांच अधिकारी द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के मोबाइल नम्बरों की कॉल डिटेल का उल्लेख भी अपनी जांच आख्या में किया गया है और जिसने अभियुक्ता रेशमा के मोबाइल नं0 से उप निरीक्षक मुकेश मिश्रा के मोबाइल नं0 पर 06 बार वार्ता होना व एक दूसरे मोबाइल नं0 पर 01 बार वार्ता होना पाया गया है, लेकिन जांच अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक, काशीपुर द्वारा कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त अभियुक्ता रेशमा के मोबाइल नं0 पर याची मुकेश मिश्रा द्वारा काल की गयी थी। अभियुक्ता रेशमा द्वारा याची के मोबाइल पर कॉल किया जाना, कहा गया है। इस आधार पर जांच अधिकारी द्वारा याची के विरूद्ध यह निष्कर्ष निकालना कि उप निरीक्षक ना0पु0 मुकेश मिश्रा का उक्त कारोबारियों के सम्पर्क में रहना तथा उनके चौकी पर उठने–बैठने से स्थानीय जनता में पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है, पूर्णतः विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध संलग्नक सं0–7 शासनादेश सं0–690/xxx(2)/2010 दिनांक 23.06.2010 में प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन की ओर से पारित शासनादेश जारी करते हुये शिकायती–पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित प्रकिया अपनायी जायः–

1. विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व यदि शिकायती पत्र की सत्यता संदिग्ध प्रतीत होती हो और उसकी पुष्टि करना आवश्यक समझा जाय तो सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि कर ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनको सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।

2. अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ–पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की

पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और इसके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाय।

9. निःसंदेह अपर पुलिस अधीक्षक, काशीपुर जांच अधिकारी द्वारा एवं तत्पश्चात् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंह नगर द्वारा पारित शासनादेश में दी गयी उपरोक्त व्यवस्थाओं का पूर्णतः नजरअन्दाज किया गया साथ ही जब जांच अधिकारी को तथाकथित शिकायतकर्ता रमेश रावत नामक व्यक्ति के दर्शाये गये पते पर उक्त व्यक्ति के नाम का कोई व्यक्ति न होना, पाया गया एवं साथ ही इससे पूर्व भी उक्त नामक व्यक्ति के नाम से स्थानीय पुलिस के विरूद्ध द्वेषपूर्ण भावना से शिकायतं उक्त व्यक्ति के नाम से किया जाना, जॉच के दौरान पाया गया था, तो उस दशा में याचोकर्ता के विरूद्ध जांच कार्यवाही किया जाना पूर्णतः उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन था और जो याचीकर्ता के इन कथनों की पुष्टि करते हैं कि याचीकर्ता वर्ष 2006 से पुलिस सेवा में आने के बाद से पूरी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से अपने कर्तव्यां का निर्वहन करता चला आ रहा है और विपक्षीगण द्वारा द्वेषपूर्ण भाव से उसे क्षति पहुॅचाने के आशय से उक्त झूठे शिकायती पत्र पर अवैध जांच करवाकर याचीकर्ता की सत्यनिष्ठा को प्रतिकूल प्रमाणित करने के आशय से आदेश पारित किये गये हैं, जबकि पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूॅं परिक्षेत्र, नैनीताल द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 29.04.2021 के पैरा–20 में स्पष्ट उल्लिखित किया गया है कि **"अपीलार्थी का सेवा रिंकार्ड साफ है और उसे कभी भी इस प्रकार के किसी कार्य का दोषी नहीं पाया गया है। उसने सदैव कर्मठता व लगन से अपने दायित्वों का पालन किया है। इस तथ्य को भी उक्त आदेश देने से पूर्व विचार में रखा जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। इसलिये भी उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है।"** पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूॅं परिक्षेत्र, नैनीताल के उपरोक्त निष्कर्ष के बावजूद, विपक्षी सं0–3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर द्वारा उ0नि0 ना0पु0 मुकेश मिश्रा की सत्यनिष्ठा के प्रमाण–पत्र को रोके जाने के आदेश को पुष्ट किये जाने में महान वैधानिक त्रुटि की गयी है।

10. अतः उपरोक्त साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि याचीकर्ता के विरूद्ध कथित शिकायतकर्ता रमेश रावत नामक व्यक्ति शिकायती प्रार्थना–पत्र में दिये गये पते पर नहीं पाया गया साथ ही शिकायती प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ था, इसके बावजूद विपक्षी सं0–3 एवं जांच अधिकारी द्वारा पारित

शासनादेश सं0—690 / xxx(2)/2010 दिनांक 23.06.2010 में दी गयी व्यवस्थाओं का पूर्णः उल्लंघन किया गया साथ ही किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा उपरोक्त अभियुक्तगण के द्वारा याची के विरूद्ध किसी भी प्रकार से रूपये पैसे लिया जाना नहीं कहा गया है और याचीकर्ता द्वारा स्वयं भी अभियुक्ता रेशमा के मोबाइल पर कोई कॉल नहीं की गयी और जो कॉल याचीकर्ता के मोबाइल पर आई है निःसंदेह याचीकर्ता पुलिस रक्षा दल का एक सक्षम अधिकारी था और उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के कॉल आने पर उसे सुनने का पूर्ण दायित्व था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियॉ रोकने व अपराधियों को पकड़ने के लिये क्षेत्र के स्थानीय निवासियों तथा मुखबिरों के सम्पर्क में पुलिस अधिकारी को रहना पड़ता है तथा उनके द्वारा गोपनीयता बनाने के लिये सूचना देने हेतु भी विभिन्न लोगों के मोबाइल फोन प्रयोग करके पुलिस अधिकारी से सम्पर्क किया जाता है। इसलिये केवल किसी मोबाइल नम्बर पर बात होने भर से पुलिस की छवि धूमिल होने बावत् कोई प्रतिकूल अर्थ निकाला जाना पूरी तरह विधि विरूद्ध है और ऐसे कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार अधिकारी को हतोत्साहित करने क तुल्य है, जिसके सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में पूर्णतः अनदेखी की गयी तथा अभियुक्तगण की कॉल डिटेल प्राप्त करने के सम्बन्ध में सक्षम उच्चाधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना ही कॉल डिटेल को याची के विरूद्ध पुलिस की छवि धूमिल करने का आधार मानते हुये द्वेषपूर्ण जॉच प्रस्तुत की गयी और इसी द्वेषपूर्ण जॉच को आधार पाते हुये विपक्षी सं0—3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर द्वारा याचीकर्ता उ0नि0 ना0पु0 श्री मुकेश मिश्रा की सेवा—पुस्तिका में वर्ष 2019 की सत्यनिष्ठा प्रमाण—पत्र रोके जाने की प्रविष्टि करने हेतु पारित आदेश दिनांक 12.06.2019 एवं उसके विरूद्ध पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूॅ परिक्षेत्र, नैनीताल को प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर पारित आदेश दिनांक 29.04.2021 पूर्णतः तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। तद्नुसार, याचीकर्ता की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचीकर्ता उ0नि0 ना0पु0 श्री मुकेश मिश्रा की याचिका स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं0—3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर द्वारा याची की चरित्र पंजिका में व अन्य अभिलेखों में वर्ष 2019 का सत्यनिष्ठा प्रमाण—पत्र रोके जाने के बावत् पारित आदेश दिनांक 12.06.2020 / 19 व अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश

दिनांक 29.04.2021 अपास्त किय जाते हैं। विपक्षी सं0–3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी उ0नि0 ना0पु0 श्री मुकेश मिश्रा की चरित्र पंजिका में वर्ष 2019 की सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र रोके जाने बावत् प्रविष्टि को चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों से अन्दर 30 दिन में विलुप्त करते हुये समस्त परिणामिक सेवा लाभ अनुमन्य करते हुये अवमुक्त करें। मामले की परिस्थितियों को देखते हुये पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना वहन करेंगे।

(राजेन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष (न्या0)

दिनांक : जून 29, 2022
नैनीताल।

बी0के0